



परिशीष्ट 'अ'

मध्यप्रदेश वक्फ़ बोर्ड,

(केन्द्रीय वक्फ़ अधिनियम 1995 के अंतर्गत म.प्र. शासन द्वारा गठित)
ताज केम्पस, नियर ताजुल मसाजिद, भोपाल, फोन : 0755-2543175, 2737341
ई-मेल: mp_wakrboard@rediffmail.com, ceomp@wakf.gov.in, Wpbsite: mpwaqfboard.org

क.आर./138/12/6828

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2012

अधिसूचना

म.प्र. राज्य वक्फ़ अधिकरण भोपाल द्वारा पारित निर्णय आदेश दिनांक 16-06-2000 तथा माननीय उच्च न्यालय खण्डपीठ इंदौर की सिविल रिवीजन दिनांक 10-08-2010 द्वारा दिये गये निर्णय के परिपालन में कार्यालय के आदेश क. 3292-95 दिनांक 31.03.2012 एवं आदेश क. 3856-59 दिनांक 25.04.2012 से भूमि कस्बा तराना खसरा नं. 166 रकबा 2.428 हेक्ट. 609, रकबा 0.085 हेक्ट., 610 में से रकबा 0.388 हेक्ट., 611 रकबा 0.283 हेक्ट., 612 रकबा 0.121 हेक्ट., 613 में से रकबा 0.130 हेक्ट., 614 रकबा 0.061 हेक्ट., 615 रकबा 0.316 हेक्ट., 618 रकबा 0.239 हेक्ट., 619 में से 0.117 हेक्ट., 610/1388 रकबा 0.024 हेक्ट., कुल 11 किता 4.192 हेक्टेयर एवं भूमि ग्राम नाटा खेड़ी तह0 तराना खसरा नं. 59 रकबा 9.154 हेक्ट., 63 रकबा 0.178 हेक्ट., 64 रकबा 2.575 हेक्ट., 65 रकबा 3.593 हेक्ट., कुल 4 किता 15.500 हेक्ट., वर्तमान खसरा नं. 106 रकबा 15.500 हेक्ट., जो कि कार्यालय के वक्फ़ पंजीयन रजिस्टर क्रमांक 331 राजपत्र के अनुक्रमांक 116 पर दरगाह गुन्दन रानी कस्बा तराना ज़िला उज्जैन के नाम से दर्ज है, को वक्फ़ से विलोपित किया गया है।

(एस.यू.सैयद)

रा.प्र.से.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ़ बोर्ड, भोपाल